लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक–0771.2331385,फैक्स क्रमांक–0771.2445215,ई–मेल–(cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र/एम.आई.एस./N-123/2026/428 नवा रायपुर, दिनांक 12/06/2026

प्रति ,

1. समस्त संयुक्त संचालक
   छत्तीसगढ़

2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   छत्तीसगढ

विषयः– अवकाश आवेदन ऑनलाईन करने के संबंध में।

संदर्भः– 1. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक GENS-21/1365/2025/20 तीन नवा रायपुर, दिनांक 19.12.2025

2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक GENS-2101/3042/2025-GAD-13-Part(1) नवा रायपुर दिनांक 14.01.2025।

3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एम.आई.एस./2024/132 नवा रायपुर दिनांक 10.07.2024।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा शालाओं के समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति वर्तमान में विद्या समीक्षा केन्द्र के द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन (VSK App) के द्वारा ली जा रही है द्वारा किये जाने हेतु निर्देशित किया था। उक्त आदेश के परिपालन में समस्त शालाओं के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 16.06.2026 से अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज की जानी है। VSK App में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज न होने की दशा में कर्मचारी की उपस्थिति शून्य मानते हुए जून माह का वेतन आहरण नहीं किया जायेगा।

संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के द्वारा अन्य समस्त कार्यालयीन कर्मचारियों की उपस्थिति Aadhar Enabled Biometric Attendance System-AEBAS System द्वारा किये जाने हेतु निर्देशित किया था। परन्तु अभी तक समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति AEBAS System द्वारा नहीं दी जा रही है। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है। कि सभी अपनी उपस्थिति AEBAS System के माध्यम से देना सुनिश्चित करें। अन्यथा सभी की उपस्थिति 16 जून से शून्य मानते हुए जून माह का वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। एवं इसके लिये आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होगें।

संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के द्वारा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों को अवकाश आवेदन विभागीय HRMIS पोर्टल के द्वारा आवदेन प्राप्ति एवं स्वीकृति का कार्य ऑनलाईन करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आजपर्यन्त आवेदन उक्त कार्य ऑफलाईन मोड में ही किया जा रहा है। अतः ऑफलाईन

civilindia.in

Scanned with OKEN Scanner

अवकाश आवेदन पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि सभी अवकाश आवेदन मात्र ऑनलाईन मोड में ही स्वीकृत किये जावें। ऑफलाईन आवेदन स्वीकृति की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

क्र/एम.आई.एस./N-123/2026/428 नवा रायपुर, दिनांक 12/06/2026

प्रतिलिपिः–

1. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

civilindia.in

Scanned with OKEN Scanner